मध्यप्रदेश विधान सभा

क्रमांक-2

संक्षिप्त कार्य विवरण

पत्रक भाग-एक

मंगलवार, दिनांक 8 जुलाई, 2008 (आषाढ़ 17, 1930)

विधान सभा पूर्वाह्न 10.33 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

1. प्रश्नोत्तर

अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रश्नकर्ता श्री छत्रपति सिंह, सदस्य का नाम पुकारा गया। श्रीमती जमुना देवी, नेता प्रतिपक्ष सहित अधिकांश सदस्य द्वारा प्रश्नकाल नहीं चलने देने तथा पहले प्रदेश बंद के दौरान अशांति संबंधी घटना की न्यायिक जांच की मांग की गई। अध्यक्ष महोदय द्वारा पहले प्रश्नकाल चलने देने का अनुरोध किया गया।

व्यवधान एवं शोरगुल के कारण प्रश्नकाल नहीं हो सका अत: दिनांक 8 जुलाई, 2008 को निर्धारित लिखित प्रश्नोत्तर नियम 45 (3) के अनुसार कार्यवाही के अंत में मुद्रित किए जाएंगे।

पूर्वाह्न 10.35 बजे सदन की कार्यवाही 11.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

2. स्थगन प्रस्ताव

प्रदेश में बंद के दौरान दिनांक 3 एवं 4 जुलाई, 2008 को इंदौर में साम्प्रदायिक हिंसा एवं उससे उत्पन्न स्थिति के संबंध में सर्वश्री आरिफ अकील, सज्जन सिंह वर्मा, अश्विन जोशी, डॉ. गोविन्द सिंह, सर्वश्री रामनिवास रावत, अशोक सिंह सरस्वार, राजेश पटेल, श्रीमती सरोज बच्चन नायक, सर्वश्री उम्मेद सिंह बना, राजनारायण सिंह पुरनी, श्रीमती जमुना देवी, नेता प्रतिपक्ष, सर्वश्री इन्द्रजीत कुमार, सुखदेव पांसे, के.पी. सिंह, निशिथ पटेल, गोविन्द सिंह राजपूत, रामलखन शर्मा, बृजेन्द्र सिंह राठौर, किशोर समरीते, हमीद काज़ी, राजेन्द्र कुमार सिंह तथा नारायण त्रिपाठी, सदस्यगण द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रस्ताव की 22 सूचनाओं में से श्री आरिफ अकील, सदस्य द्वारा प्रस्तुत प्रथम सूचना को अध्यक्ष महोदय द्वारा पढ़ा गया।

श्री दिग्विजय सिंह, सदस्य द्वारा अध्यक्ष महोदय से, पहले स्थगन प्रस्ताव को ग्राह्य करने तथा इस घटना की न्यायिक जांच की मांग की गई। अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी कि उनके द्वारा यह स्थगन प्रस्ताव, ग्राह्यता पर चर्चा के लिए स्वीकार किया गया है। माननीय सदस्य की मांग को सरकार माने या न माने यह सरकार पर निर्भर है आसंदी सरकार पर इसके लिए दबाव नहीं डाल सकती।

श्री हिम्मत कोठारी, गृह मंत्री ने शासन का वक्तव्य दिया।

संपूर्ण विपक्ष के सदस्यगण एक साथ खड़े होकर स्थगन प्रस्ताव को ग्राह्य कर घटना की न्यायिक जांच की मांग करते हुए गर्भगृह में आए। इस दौरान पक्ष-विपक्ष के सदस्यगण द्वारा परस्पर नारेबाजी की गई। अध्यक्ष महोदय द्वारा स्थगन प्रस्ताव को ग्राह्यता पर चर्चा हेतु श्री आरिफ अकील तथा अन्य सदस्यगण का नाम पुकारा गया किन्तु उनके द्वारा चर्चा में भाग नहीं लिया गया। अध्यक्ष महोदय द्वारा व्यवस्था दी गई कि चूंकि विपक्ष के सदस्यगण चर्चा के लिए तैयार नहीं है अतः स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं देकर अब कार्यसूची में निहित विषयों पर सदन की आगे की कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है।

3. नियम 267-क के अधीन विषय

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार -

(1) श्री उम्मेद सिंह बना, सदस्य की मुरैना जिले के जौरा में गोकुल ग्रामों का विकास न होने,

(2) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य की भिण्ड में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना पूर्णतः चालू न होने,

(3) श्री किशोर समरीते,सदस्य की साप्ताहिक बाजार, लांजी में ठेकेदारों द्वारा अवैध वसूली करने,

(4) डॉ. निशिथ पटेल, सदस्य की कटनी जिले में रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत रीठी एवं बहोरीबंद क्षेत्र में मजदूरों को मजदूरी न दिये जाने,

(5) श्री गजराज सिंह सिकरवार, सदस्य की मुरैना जिले में कार्यरत दाइयों को वेतन न दिये जाने,

(6) डॉ. सुनीलम्, सदस्य की बैतूल जिले के ग्रामों में इल्ली प्रकोपों से फसलों के नष्ट होने,

(7) श्री राजेश पटेल, सदस्य की चिकित्सा महाविद्यालय में रक्तकोष के पदों के निरंतर होने संबंधी आदेश न होने,

(8) पं. रमेश दुबे, सदस्य की छिन्दवाडा के चौरई अंतर्गत दिलवारमोह गांव जलाशय हेतु अधिग्रहित भूमि को असिंचित बताने,

(9) श्री काशीप्रसाद बागरी, सदस्य की शासकीय अनुदान प्राप्त शालाओं में मध्यान भोजन का वितरण पी.टी.ए. के माध्यम से कराये जाने तथा

(10) डॉ. आई.एम.पी. वर्मा, सदस्य की विदिशा जिले की लटेरी तहसील के ग्राम नेवली के अंतर्गत एक भील आदिवासी भूमि को शासन की मिली भगत से हडपे जाने,

संबंधी शून्यकाल की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गई।

4. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री बाबूलाल गौर, वाणिज्यिक कर मंत्री ने मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002) की धारा 71 की उपधारा (5) की अपेक्षानुसार वाणिज्यिक कर विभाग की निम्नलिखित अधिसूचनाएं -

(क) क्रमांक एफ-ए-3-6-2008-1-पांच (11), दिनांक 29 मार्च, 2008 तथा

(ख) क्रमांक एफ-3-64-2007-1-पांच (17), दिनांक 19 मई, 2008,

(2) श्री जयंत मलैया, वाणिज्य, उद्योग और रोजगार मंत्री ने कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम मर्यादित, भोपाल का 44वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2005-2006,

(3) डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री ने मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972 (क्रमांक 7 सन् 1973) की धारा 9 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार संसदीय कार्य विभाग की निम्नलिखित अधिसूचनाएं -

(क) क्रमांक 504-एफ (2) 45-07-अड़तालीस, दिनांक 15 अप्रैल, 2008 तथा

(ख) क्रमांक 708-एफ (2) 62-07-अड़तालीस, दिनांक 24 मई, 2008,

(4) कुंवर विजय शाह, वन मंत्री ने कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड का 32वां वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखे वर्ष 2006-2007,

(5) श्री करण सिंह वर्मा, राज्यमंत्री ग्रामोद्योग ने कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम लिमिटेड, भोपाल का तेईसवां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा दिनांक 31 मार्च, 2004 को समाप्त वर्ष के लिये,

(6) श्रीमती रंजना बघेल, राज्यमंत्री सामान्य प्रशासन ने -

(क) भारत के संविधान के अनुच्छेद 323 (2) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग का वर्ष 2006-2007 का पचासवां वार्षिक प्रतिवेदन (दिनांक 1.4.2006 से 31.3.2007 तक) तथा मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग का वर्ष 2006-2007 का स्पष्टीकरणात्मक ज्ञापन,

(ख) मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) की धारा 19 की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) का चौदहवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2007 ;तथा

(ग) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (क्रमांक 22 सन् 2005) की धारा 24 की उपधारा (5) की अपेक्षानुसार सामान्य प्रशासन विभाग की निम्नलिखित अधिसूचनाएं :-

(i) क्रमांक एफ-11-39-2005-एक-9-सू.अ.प्र., दिनांक 30 अगस्त, 2007 ;एवं

(ii) क्रमांक एफ-11-37-05-एक-9, दिनांक 10 मार्च, 2008 ,

पटल पर रखीं।

(गर्भगृह में आए विपक्ष के सदस्यगण द्वारा नारेबाजी की जाती रही। अध्यक्ष महोदय द्वारा उन्हें अपने-अपने आसनों पर जाने के निर्देश दिए गए)

5. ध्यानाकर्षण

अध्यक्ष महोदय द्वारा घोषणा की गई कि आज की कार्यसूची में सम्मिलित ध्यानाकर्षण की निम्नलिखित सूचनाएं तथा इन पर विभागीय उत्तर सदन में पढ़े हुए माने जायेंगे एवं इन्हें कार्यवाही में मुद्रित किया जायेगा : -

(1) श्री आरिफ अकील, श्रीमती सरोज बच्चन नायक, श्री रामनिवास रावत, सदस्य ने समर्थन मूल्य पर खाद्यान्न खरीदी में अनियमितता होने संबंधी सूचना तथा खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री का वक्तव्य।

(2) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य ने भिण्ड जिले के लहार स्थित शासकीय महाविद्यालय में प्राध्यापकों की कमी से शैक्षणिक कार्य प्रभावित होने संबंधी सूचना तथा उच्च शिक्षा मंत्री का वक्तव्य।

6. अनुपस्थिति की अनुज्ञा

अध्यक्ष महोदय द्वारा घोषणा की गई कि निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 122-बरघाट के सदस्य डॉ. ढाल सिंह बिसेन ने विधान सभा के वर्तमान जुलाई, 2008 सत्र की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा चाही है।

अनुज्ञा प्रदान की गई।

7. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

(1) श्री अंचल सोनकर, सभापति ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति का सोलहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

(2) श्री मनोहरलाल राठौर, सभापति ने शासकीय आश्वासनों संबंधी समिति का पच्चीसवां, छब्बीसवां, सत्ताईसवां, अठ्ठाईसवां, उन्तीसवां एवं तीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

8. याचिकाओं की प्रस्तुति

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार, श्री गजराज सिंह सिकरवार, सदस्य की मुरैना जिले के -

(क) ग्राम गलेथा हवेली के देवसिंह सिकरवार मोहल्ला की पेयजल समस्या दूर करने,
(ख) ग्राम सुकलू का पुरा पंचायत बरोली में पुलिया निर्माण कराये जाने,
(ग) ग्राम भेदपुरा की नदी पर रपटा निर्माण कराये जाने,
(घ) ग्राम नेहरावली जोरा के बेहड़ कटावों को रोके जाने,
(ङ) ग्राम तेजसिंह का पुरा मोघना जवाहर में आंगनवाड़ी भवन निर्माण कराये जाने,
(च) ग्राम टिकटोला गुर्जर मजरा, रामसिंह का पुरा, देवीराम का पुरा व बगीया का पुरा मार्ग पर पुलिया बनाये जाने,
(छ) ग्राम खाण्डोली के मजरा में आंगनवाड़ी भवन निर्माण कराये जाने,
(ज) ग्राम कोकसिंह का पुरा खाण्डोली जौरा में आंगनवाड़ी भवन निर्माण कराये जाने,
(झ) ग्राम छतरपुरा देवगढ़ में आंगनवाड़ी भवन निर्माण कराये जाने,
(ञ) ग्राम चेना मजरा स्लामपुरा में आंगनवाड़ी भवन निर्माण कराये जाने,
(ट) ग्राम विण्डवा में आंगनवाड़ी भवन निर्माण कराये जाने,
(ठ) ग्राम निटहरा में आंगनवाड़ी भवन निर्माण कराये जाने,
(ड) ग्राम बलवंत का पुरा रिठौरा खुर्द में आंगनवाड़ी भवन निर्माण कराये जाने,
(ढ) ग्राम रायपुर जखौना से मजरा बाग का पुरा तक सड़क निर्माण कराये जाने,
(ण) ग्राम जगन्नाथ का पुरा सीहोरी के मजरा में आंगनवाड़ी भवन निर्माण कराये जाने,
(त) ग्राम हरचंद बसई गांव के कटाव रोकने हेतु सुरक्षा दीवाल निर्माण कराये जाने,
(थ) ग्राम हरचंद बसई गांव में आंगनवाड़ी भवन निर्माण कराये जाने,
(द) ग्राम गढ़ी की प्राथमिक विद्यालय व अनुसूचित जाति बस्ती में हैण्डपंप खनन करने,
(ध) ग्राम गढ़ी में आंगनवाड़ी भवन निर्माण कराये जाने,
(न) ग्राम सिकरोदा में आंगनवाड़ी भवन निर्माण कराये जाने,
(प) ग्राम जतावर में आंगनवाड़ी भवन निर्माण कराये जाने,
(फ) ग्राम हिगोनाकला में आंगनवाड़ी भवन निर्माण कराये जाने,
(ब) ग्राम हिगोना खुर्द में आंगनवाड़ी भवन निर्माण कराये जाने,
(भ) ग्राम सागोरिया का पुरा देवरी में आंगनवाड़ी भवन निर्माण कराये जाने,
(म) ग्राम जखोना गढ़ी में आयुर्वेदिक औषधालय का भवन निर्माण कराये जाने,तथा
(य) ग्राम बरौली से उम्मेदगढ़ वांसी तक सड़क निर्माण कराये जाने,

संबंधी याचिकाएं प्रस्तुत की हुई मानी गई।

9. वक्तव्य

कुंवर विजय शाह, वन मंत्री ने दिनांक 15 फरवरी, 2006 को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 19 (क्रमांक 418) एवं दिनांक 23 मार्च, 2006 को पूछे गये परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 7 (क्रमांक 1724) के उत्तरों में संशोधन करने के संबंध में वक्तव्य दिया।

10. वर्ष 2008-2009 के प्रथम अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन

श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने राज्यपाल महोदय के निर्देशानुसार वर्ष 2008-2009 के प्रथम अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन किया

अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रथम अनुपूरक अनुमान पर चर्चा और मतदान के लिए दिनांक 9 जुलाई, 2008 को 2 घन्टे का समय नियत किया गया।

11. वर्ष 1995-96 तथा 1996-97 के आधिक्य व्यय के विवरणों का उपस्थापन

श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने राज्यपाल महोदय के निर्देशानुसार वर्ष 1995-96 तथा 1996-97 के मतदत्त अनुदानों और भारित विनियोगों पर आधिक्यों के विवरण का उपस्थापन किया।

12. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2008 (क्रमांक 7 सन् 2008) पर विचार किया जाय।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ।

खण्ड 2 विधेयक का अंग बना।
खण्ड 1 विधेयक का अंग बना।
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने।

डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2008 (क्रमांक 7 सन् 2008) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक पारित हुआ।

(2) डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष वेतन तथा भत्ता विधि संशोधन विधेयक, 2008 (क्रमांक 8 सन् 2008) पर विचार किया जाय।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ।

खण्ड 2,3,4 तथा 5 विधेयक के अंग बने।
खण्ड 1 विधेयक का अंग बना।
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने।

डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष वेतन तथा भत्ता विधि संशोधन विधेयक, 2008 (क्रमांक 8 सन् 2008) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक पारित हुआ।

(3) श्रीमती रंजना बघेल, राज्यमंत्री सामान्य प्रशासन ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश मंत्री (वेतन तथा भत्ता) संशोधन विधेयक, 2008 (क्रमांक 9 सन् 2008) पर विचार किया जाय।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ।

खण्ड 2 तथा 3 विधेयक के अंग बने।

खण्ड 1 विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने।

श्रीमती रंजना बघेल, राज्यमंत्री सामान्य प्रशासन ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश मंत्री (वेतन तथा भत्ता) संशोधन विधेयक, 2008 (क्रमांक 9 सन् 2008) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

(4) श्री बाबूलाल गौर, वाणिज्यिक कर मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश वृत्ति कर (संशोधन) विधेयक, 2008 (क्रमांक 10 सन् 2008) पर विचार किया जाय।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ।

खण्ड 2,3 तथा 4 विधेयक के अंग बने।

खण्ड 1 विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने।

श्री बाबूलाल गौर, वाणिज्यिक कर मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश वृत्ति कर (संशोधन) विधेयक, 2008 (क्रमांक 10 सन् 2008) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

(5) श्री बाबूलाल गौर, वाणिज्यिक कर मंत्री ने प्रस्ताव किया कि भारतीय स्टाम्प (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2008 (क्रमांक 11 सन् 2008) पर विचार किया जाय.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ।

खण्ड 2 तथा 3 विधेयक के अंग बने।

खण्ड 1 विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने।

श्री बाबूलाल गौर, वाणिज्यिक कर मंत्री ने प्रस्ताव किया कि भारतीय स्टाम्प (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2008 (क्रमांक 11 सन् 2008) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

(6) श्री बाबूलाल गौर, वाणिज्यिक कर मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) विधेयक, 2008 (क्रमांक 12 सन् 2008) पर विचार किया जाय।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ।

खण्ड 2 तथा 3 विधेयक के अंग बने।

खण्ड 1 विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने।

श्री बाबूलाल गौर, वाणिज्यिक कर मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) विधेयक, 2008 (क्रमांक 12 सन् 2008) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

(7) श्री जयंत मलैया, वाणिज्य, उद्योग और रोजगार मंत्री ने प्रस्ताव किया कि इन्दौर स्पेशल इकॉनामिक ज़ोन (स्पेशल प्रोविजन्स) संशोधन विधेयक, 2008 (क्रमांक 13 सन् 2008) पर विचार किया जाय।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ।

खण्ड 2,3,4,5 तथा 6 विधेयक के अंग बने।

खण्ड 1 विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने।

श्री जयंत मलैया, वाणिज्य, उद्योग और रोजगार मंत्री ने प्रस्ताव किया कि इन्दौर स्पेशल इकॉनामिक ज़ोन (स्पेशल प्रोविजन्स) संशोधन विधेयक, 2008 (क्रमांक 13 सन् 2008) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

(8) डॉ. गौरीशंकर शेजवार, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश उपचर्यागृह तथा रूजोपचार संबंधी स्थापनाएं (रजिस्ट्रीकरण तथा अनुज्ञापन) संशोधन विधेयक, 2008 (क्रमांक 14 सन् 2008) पर विचार किया जाय।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ।

खण्ड 2 से 9 विधेयक के अंग बने।

खण्ड 1 विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने।

डॉ. गौरीशंकर शेजवार, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश उपचर्यागृह तथा रूजोपचार संबंधी स्थापनाएं (रजिस्ट्रीकरण तथा अनुज्ञापन) संशोधन विधेयक, 2008 (क्रमांक 14 सन् 2008) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

(9) डॉ. गौरीशंकर शेजवार, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश चिकित्सक तथा चिकित्सा सेवा से संबद्ध व्यक्तियों की सुरक्षा विधेयक, 2008 (क्रमांक 15 सन् 2008) पर विचार किया जाय।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ।

खण्ड 2 से 8 विधेयक के अंग बने।

खण्ड 1 विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने।

डॉ. गौरीशंकर शेजवार, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश चिकित्सक तथा चिकित्सा सेवा से संबद्ध व्यक्तियों की सुरक्षा विधेयक, 2008 (क्रमांक 15 सन् 2008) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

(10) डॉ. नरोत्तम मिश्रा, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) विधेयक, 2008 (क्रमांक 16 सन् 2008) पर विचार किया जाय।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ।

खण्ड 2 तथा 3 विधेयक के अंग बने।

खण्ड 1 विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने।

डॉ. नरोत्तम मिश्रा, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) विधेयक, 2008 (क्रमांक 16 सन् 2008) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

(11) डॉ. नरोत्तम मिश्रा, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) संशोधन विधेयक, 2008 (क्रमांक 17 सन् 2008) पर विचार किया जाय।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ।

खण्ड 2,3,4,5,6 तथा 7 विधेयक के अंग बने।

खण्ड 1 विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने।

डॉ. नरोत्तम मिश्रा, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) संशोधन विधेयक, 2008 (क्रमांक 17 सन् 2008) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

(12) श्री जयंत मलैया, वाणिज्य, उद्योग और रोजगार मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश निवेश संवर्धन विधेयक, 2008 (क्रमांक 18 सन् 2008) पर विचार किया जाय।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ।

खण्ड 2 से 21 विधेयक के अंग बने।
खण्ड 1 विधेयक का अंग बना।
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने।

श्री जयंत मलैया, वाणिज्य, उद्योग और रोजगार मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश निवेश संवर्धन विधेयक, 2008 (क्रमांक 18 सन् 2008) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक पारित हुआ।

13. संविहित संकल्प

(1) डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री ने संकल्प प्रस्तुत किया कि -

"यह सदन मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972 (क्रमांक 7 सन् 1973) की धारा 5-ख तथा 6 के साथ पठित धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन बनाए गए मध्यप्रदेश विधान मण्डल यात्रा भत्ता नियम, 1957 में किए गए संशोधनों का, जो संसदीय कार्य विभाग की अधिसूचना क्रमांक 504-एफ.(2) 45-07-अड़तालीस, दिनांक 15 अप्रैल, 08 द्वारा मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 203, दिनांक 15 अप्रैल, 08 में प्रकाशित किए गए हैं, उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) के अनुसरण में अनुमोदन करता है.".

संकल्प प्रस्तुत हुआ।
संकल्प स्वीकृत हुआ।

(2) डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री ने संकल्प प्रस्तुत किया कि -

"यह सदन मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972 (क्रमांक 7 सन् 1973) की धारा 6-ख के साथ पठित धारा 9 की उपधारा (1) तथा उपधारा (2) के खण्ड (ककक) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन बनाए गए मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य कुटुम्ब पेंशन नियम, 2000 में किए गये संशोधनों का, जो संसदीय कार्य विभाग की अधिसूचना क्रमांक 708 -एफ.(2) 62-07-एक-अड़तालीस, दिनांक 24 मई, 08 द्वारा मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 258, दिनांक 26 मई, 08 में प्रकाशित किए गए हैं, उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) के अनुसरण में अनुमोदन करता है. ".

संकल्प प्रस्तुत हुआ।
संकल्प स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.24 बजे विधान सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 9 जुलाई, 2008 (आषाढ़ 18, 1930) के पूर्वाह्न 10.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

डॉ. ए.के.पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.